

प्रेस नोट सं०- 44

दिनांक 22.09.2024

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी

थाना रामगंज पुलिस द्वारा लूट के प्रयास में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 19.09.2024 समय करीब 08:00 बजे रात्रि में 03 व्यक्तियों द्वारा लूट करने के इरादे से वादी मुकदमा पर पिस्टल लगाकर रुपये लूटने का प्रयास किया गया था जिसमें एक व्यक्ति आदित्य सिंह पुत्र वीरेन्द्र बहादुर सिंह निवासी कुण्डा कुँअर छावनी थाना छावनी जनपद बस्ती उम्र करीब 22 वर्ष को स्थानीय लोगों द्वारा पकड़ कर थाना रामगंज पुलिस को सूचित किया गया था जिसके संबंध में मु०अ०सं० 103/24 धारा 309(5) बीएनएस पंजीकृत कर किया गया था । पुलिस अधीक्षक अमेठी द्वारा घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक आदेश/निर्देश दिये गये थे ।

दिनांक 20.09.2024 को थाना रामगंज पुलिस द्वारा आदित्य सिंह उपरोक्त व घटना में शामिल 02 अन्य अभियुक्तों अभय यादव व विशेष पाण्डेय को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार सुल्तानपुर भेजा जा चुका है । पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त आदित्य सिंह ने बताया था कि वादी मुकदमा का मौसेरा भाई सचिन अग्रहरि पुत्र चन्द्र प्रकाश अग्रहरि उर्फ कल्लू अग्रहरि निवासी कूरेभार जनपद सुल्तानपुर जो वादी मुकदमा की दुकान में काम करता था जिसे वादी मुकदमा ने अपनी दुकान से हटा दिया था जिससे नाराज होकर सचिन अग्रहरी ने आर्यन शर्मा पुत्र स्व० श्यामलाल शर्मा निवासी ग्राम मीरा मानिकपुर थाना कूरेभार जनपद सुल्तानपुर ने मेरे व अन्य दो साथियों अभय यादव पुत्र विजय शंकर यादव एवं विशेष पाण्डेय पुत्र दिनेश चन्द्र पाण्डेय के साथ मिलकर वादी मुकदमा को लूटने की योजना बनायी थी । वादी मुकदमा सचिन अग्रहरि को पहचानता था जिसके कारण

सचिन अग्रहरि एवं आर्यन शर्मा द्वारा वादी मुकदमा की पहचान कराकर दूर से रेकी की जा रही थी।

आज दिनांक 22.09.2024 को उ0नि0 सत्य प्रकाश थाना रामगंज मय हमराही द्वारा तलाश वांछित व देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर वांछित दोनों अभियुक्तों 1.सचिन अग्रहरि पुत्र चन्द्र प्रकाश अग्रहरि उर्फ कल्लू अग्रहरि निवासी कूरेभार जनपद सुलतानपुर उम्र 19 वर्ष, 2.आर्यन शर्मा पुत्र स्व0 श्यामलाल शर्मा निवासी ग्राम मीरा मानिकपुर थाना कूरेभार जनपद सुलतानपुर उम्र 19 वर्ष को समय करीब 11:45 बजे दिन में छीड़ा बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1. सचिन अग्रहरि पुत्र चन्द्र प्रकाश अग्रहरि उर्फ कल्लू अग्रहरि निवासी कूरेभार जनपद सुलतानपुर उम्र 19 वर्ष।
2. आर्यन शर्मा पुत्र स्व0 श्यामलाल शर्मा निवासी ग्राम मीरा मानिकपुर थाना कूरेभार जनपद सुलतानपुर उम्र 19 वर्ष।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 103/24 धारा 309(5) बीएनएस थाना रामगंज जनपद अमेठी। (में वांछित)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 सत्य प्रकाश थाना रामगंज जनपद अमेठी।
2. हे0का0 राम प्रसाद यादव थाना रामगंज जनपद अमेठी।
3. हे0का0 वकील सिंह यादव थाना रामगंज जनपद अमेठी।
4. हे0का0 धर्मेन्द्र सिंह थाना रामगंज जनपद अमेठी।
5. का0 राधाकृष्ण थाना रामगंज जनपद अमेठी।
6. का0 प्रेम पाल थाना रामगंज जनपद अमेठी।

गिरफ्तार अभियुक्त सचिन अग्रहरि का आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0 23/22 धारा 147,323,354,427,452,504,506 भादवि थाना कूरेभार जनपद सुलतानपुर।